(वाद सं0–1009/4/6/2021)

14.07.2022

नोटिस के बावजूद भी परिवादी, कुमार शशिकांत, उपस्थित नहीं है।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, कुमार शशिकांत के पिता, स्व0 मिथिलेश कुमार सिंह, जो दिनांक–30.11.2019 को बाल विकास योजना कार्यालय, केसठ–चौगाईं में लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, को अब तक सेवांत लाभ का भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उपरोक्त पर जिला पदाधिकारी, बक्सर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्व0 मिथिलेश कुमार सिंह के आश्रित को सभी अनुमान्य सेवांत लाभ का भुगतान किया जा चुका है साथ ही साथ ग्रेच्युटी एवं पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु पेंशन प्रपत्र तैयार कर महालेखाकर, बिहार, पटना को भेजा जा चुका है। जिला पदाधिकारी, बक्सर का अपने प्रतिवेदन में यह भी कथन है कि समान आशय का मामला जिला लोक सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–उप विकास आयुक्त, बक्सर द्वारा पूर्व में समाप्त किया जा चुका है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में अपने पिता के सेवांत लाभ के भुगतान से संबंधित तथ्य को स्वीकार किया गया है परन्तु उसकी ओर से उपरोक्त भुगतान में हुए विलम्ब के कारण आर्थिक क्षतिपूर्ति के भुगतान की मांग की गयी है।

सेवान्त लाभ के भुगतान में हुए विलम्ब पर आर्थिक क्षतिपूर्ति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। परिवादी अगर चाहें तो इस संबंध में न्यायालय में विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते है।

अब, जबकि परिवादी के पिता को सभी सेवान्त लाभ का संबंधित प्राधिकार द्वारा भुगतान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर जिला पदाधिकारी, बक्सर के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक